# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2015/00150

1. गोरधन आयु 60 आत्मज बूच्या जाति बैरवा निवासी ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (मृतक) कायममुकामान :–
   1/1. राधाकिशन आयु 35 वर्ष आत्मज गोरधन बैरवा निवासी लबान ।
   1/2. मुकेश आयु 30 वर्ष आत्मज गोरधन जाति बैरवा निवासी लबान ।
   1/3. सुशीला आयु 45 वर्ष पुत्री गोरधन जाति बैरवा निवासी लबान ।
   1/4. श्रीमती बरधीबाई आयु 65 वर्ष बेवा गोरधन जाति बरैवा निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांक: 30.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.1986 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार के0 पाटन ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.07.1978 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि बजरंगा, बाला जाति चमार अनुसूचित जाति ने अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 26 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम रामगंज को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.06.1970 को रामगोपाल मीणा अनुसूचित

जनजातति के व्यक्ति को बेचान कर कब्जा दे दिया । उक्त बेचान धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को कब्जे राज लिया जाकर सरकार के खाते दर्ज किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.12.1986 को आदेश पारित कर तहसीलदार, के0 पाटन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को खाता सरकार दर्ज किये जाकर कब्जा सरकार लिये जाने के आदेश पारित किये ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.1986 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर बून्दी के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी को सरकारी सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दिये हैं । तहसीलदार के0 पाटन के द्वारा यह आवेदन परीक्षण न्यायालय में पेश किया गया था कि बजरंगा और बाला जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं के द्वारा अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 26 बीघा 01 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 02.06.1970 को रामगोपाल मीणा को बेचान किया है जो धारा 42 बी के उल्लंघन में है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.1986 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि सहायक कलक्टर बून्दी के न्यायालय में एक प्रकरण संख्या 98/1986 धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चला था जिसमें तहसीलदार, के0 पाटन द्वारा दिनांक 18.07.1978 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी को जरिये बेचान दिनांक 02.06.1970 से रामगोपाल मीणा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को बेचान कर कब्जा दिया जाना बताया और उक्त बेचान धारा 42 बी के उल्लंघन में होना बताते हुए वादग्रस्त आराजी को सरकारी सिवायचक दर्ज किये जाने की प्रार्थना की थी । जिस पर परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये । उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 22.06.2014 को पटवारी हल्का के पास नकल लेने हेतु गया तब हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर बून्दी के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते

हुए धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी को सरकारी सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दिये हैं । तहसीलदार के0 पाटन के द्वारा यह आवेदन परीक्षण न्यायालय में पेश किया गया था कि बजरंगा और बाला जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं के द्वारा अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 26 बीघा 01 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 02.06.1970 को रामगोपाल मीणा को बेचान किया है जो धारा 42 बी के उल्लंघन में है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि अपीलान्ट ने अपने हिस्से का बेचान नहीं किया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार दर्ज थे । अपीलान्ट को ए0डी0जे0 के निर्णय दिनांक 09.02.2007 में भी दोषमुक्त किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा आराजी का विक्रय नहीं किया गया है । अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा निहित है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.1986 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा आराजी का विक्रय नहीं किया गया है उनको नोटिस भी नहीं दिया गया है ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायलय के द्वारा दिनांक 04.02.1986 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सरकारी सिवायचक दर्ज करने और विक्रेता और खरीदरार को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये हैं । प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 09.12.1996 में पैरा नं0 06 में यह अंकित किया गया है कि अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में कोई जवाब पेश नहीं किया है उसने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष पैरा संख्या 08 में स्वयं माना है कि पूरी जमीन पर वे काबिज हैं । पैरा नम्बर 06 में इस बात को माना है उसके हक में बेचाननामा हुआ है उसने सिर्फ इस बात को चैलेंज किया है कि उसने पूरी जमीन नहीं खरीदी है वरन् गोरधन के हिस्से को नहीं खरीदा है जिसको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । अपीलान्ट ने स्वयं यह माना है कि वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा है । माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय में यह भी अंकित किया गया है कि गोरधन अपने हिस्से के लिए उज्र कर सकता है परन्तु उसने उज्र नहीं किया है । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय के निर्णय के खिलाफ पेश की गई द्वितीय अपील खारिज की गई है ।

10. पत्रावली पर संलग्न नकल नामान्तरकरण दिनांक 02.01.1987 के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज की जा चुकी है । अपीलान्ट के द्वारा सन् 1986 के निर्णय के खिलाफ सन् 2015 में अपील पेश की गई है जो कि गंभीर रूप से अवधि बाधित है । इतने लम्बे समय तक अपीलान्ट ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं किया यह तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है और माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 09.12.1996 के अनुसार भी वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा न होकर रामगोपाल का कब्जा था । दिनांक 02.01.1987 को वादग्रस्त आराजी सरकार सिवायचक दर्ज की जा चुकी है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है और अपीलान्ट की इस आराजी पर कब्जा प्राप्त करने की मियाद भी समाप्त हो चुकी है और बिना कब्जा प्राप्ति के अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी प्रदान नहीं

की जा सकती । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से एवं सारहीन होने से खारिज होने योग्य है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.1986 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा